



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
शक्ति भवन, १४-अशोक मार्ग, लखनऊ-२२६००१
UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

फैक्स नं०. 0522-2286643
नं०. 0522-2218213

सं०: 1659/मा०सं०प्र०-02/उ०नि०लि०/2015-28/मा०सं०प्र०-02/उ०नि०लि०/2007(टी०सी०) दिनांक: 09 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 2608/2011, यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० बनाम राजेश कुमार व अन्य, में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या: 8/4/1/2002टी०सी०-1का-2/2015 दिनांक 21.08.2015, जिसे उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 1528/मा०सं०प्र०-02/उ०नि०लि०/2015-50-मा०सं०प्र०-02/2007 दिनांक 25.08.2015 द्वारा निगम की सेवाओं में लागू करने हेतु अंगीकृत किया गया है, तथा इस क्रम में शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या: 2202/24-पी-2-2015-सा०(130)/15 टी०सी०-2 दिनांक 26.08.2015 तथा आदेश संख्या: 2205/24-पी-2-2015-सा०(130)/15टी०सी०-2 दिनांक 27.08.2015 के अनुपालन में निगम में आमेलित/संविलीन निम्नलिखित स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिकों को "उ०प्र० लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994" की धारा-3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नति की तिथि को पोषक संवर्ग की एकल वरिष्ठता सूची के क्रमानुसार (स्तम्भ-5 के अनुसार) संशोधित करते हुए उन्हें एतद्वारा उनके वर्तमान तैनाती परियोजना पर तैनात किया जाता है:

क्र० सं०	कार्मिक का नाम(सर्वश्री)/ पिता का नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के पश्चात अधिनियम 1994 की धारा-3(7) के माध्यम से प्रदान की गई प्रोन्नतियों के पदनाम/ प्रोन्नति तिथि	यदि धारा-3(7) के अन्तर्गत प्रोन्नति न हुई होती तो पोषक संवर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के क्रमानुसार कार्यालय सहायक-द्वितीय पद पर संशोधित चयन वर्ष/ प्रोन्नति तिथि	
			चयन वर्ष	प्रोन्नति तिथि
1	2	3	4	5
1	केहरी सिंह/देवी सिंह हरदुआगंज	कार्यालय सहायक-द्वितीय दिनांक: 26.05.1999	2011-2012	08.06.2012
2	राजा राम रावत/मोहन लाल लखनऊ	कार्यालय सहायक-द्वितीय दिनांक: 30.05.2006	2014-2015	01.07.2015
3	श्रीमती सुधा/श्याम लाल लखनऊ	कार्यालय सहायक-द्वितीय दिनांक: 04.07.2007	2014-2015	01.07.2015

2. प्रोन्नति की तिथि में संशोधन के फलस्वरूप उपरोक्त कार्मिकों का वेतन शासनादेश संख्या: 8/4/1/2002टी०सी०-1का-2/2015 दिनांक 21.08.2015 के प्रस्तर-6(ख) में दी गई व्यवस्थानुसार विनियमित/निर्धारित होगा।

3. उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।


निदेशक(कार्मिक एवं प्रशासन)

सं०: 1659/मा०सं०प्र०-02/उ०नि०लि०/2015, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- (1) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (2) निदेशक(कार्मिक एवं प्रशासन)/(तकनीकी)/(वित्त)/(परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।

- (3) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/11), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/ कासिमपुर(अलीगढ)/पनकी(कानपुर) को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक के पोषक संवर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के क्रमानुसार अनुमन्य/धारित पद की संशोधित तिथि के अनुसार योगदान आख्या प्राप्त कर, उनकी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि एवं संगत कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से निगम मुख्यालय को संज्ञानित करायेंगे।
- (4) मुख्य अभियन्ता, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन/(मा०सं०)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आर०एण्डएम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक के पोषक संवर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के क्रमानुसार अनुमन्य/धारित पद की संशोधित तिथि के अनुसार योगदान आख्या प्राप्त कर, उनकी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि एवं संगत कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से निगम मुख्यालय को संज्ञानित करायेंगे।
- (5) मुख्य अभियन्ता(जल विद्युत), उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (6) अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (7) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (8) महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या: 8/4/1/2002टी०सी०-1का-2/2015 दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत निगमादेश सं०: 1528/मा०सं०प्र०-02/उ०नि०लि०/2015-50-मा०सं०प्र०-02/2007 दिनांक 25.08.2015 में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- (9) मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010।
- (10) अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, मा०सं०-01/02/03/04/05/06/रिफार्म/टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (11) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (12) लेखाधिकारी(वे० एवं ले०)/(पेंशन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (13) श्रीमती पूनम मिश्रा, सहायक अभियन्ता(डाटाबेस), सम्बद्ध उप महाप्रबन्धक(मा०सं०-01), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (14) सम्बन्धित कार्मिक/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

 (मुहम्मद इसलाम)
 उप सचिव(मा०सं०प्र०-02)